पुलिस ने वन्यजीव तस्कर पकड़ कर किए 45 कछुए बरामद

जयपुर। रामगंज थाना पुलिस ने वन्यजीव तस्करी मामले में अंतरराज्यीय गैंग के मेंबर को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्करी के कब्जे से भरतपुर से बैग में भरकर लाए 45 कछुए बरामद किए गए है। पूछताछ में राजस्थान सहित तीन राज्यों में कछुओं की सप्लाई करना आरोपी ने स्वीकार किया है। पुलिस फिलहाल गिरफ्तार आरोपी तस्कर से पूछताछ कर रही है।

डीसीपी उत्तर राशी डोगरा डूडी ने बताया कि वन्य जीव तस्करी में आरोपी सोनू (37) निवासी मथुरा गेट भरतपुर हाल कली का भट्टा गलता गेट को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मिले बैग से 45 कछुओं को जब्त किया है। वन्यजीवों की अवैध रूप से तस्करी कर मोटा पैसा कमाने की लगातार सूचना मिल रही थी। जिला स्पेशल टीम जयपुर उत्तर(डीएसटी) के हेड कॉन्स्टेबल सुरेन्द्र पाल सिंह ने सूचना को डबलप किया। मंगलवार दोपहर मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का बाबू का टीबा चैपड़ी तोपखाना हुजुरी में बैग लटका कर घूम रहा है। उसके बैग में बड़ी संख्या में कछुए रखे है। तस्करी कर लाए कछुओं को बेचने की फिराक में घूम रहा है। डीसीएटी प्रभारी दिलीप सोनी व एसएचओ रामगंज देवेन्द्र प्रताप

- **बैग में भरकर भरतपुर से लाया, तीन राज्यों में करते थे सप्लाई**

वर्मा के नेतृत्व में टीम ने घेराबंद कर संदिग्ध को पकड़ा। तलाशी लेने पर बैग में कछुए भरे मिले। पुलिस ने आरोपी सोनू को वन्यजीव तस्करी में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से मिले 45 कछुओं को जब्त किया गया। पूछताछ में सामने आया है कि वह भरतपुर इलाके से कछुआ की अवैध रूप से बड़े स्तर पर तस्करी करने वली अंतरराज्यीय गैंग का मेंबर है। वह तौफिक नाम के व्यक्ति से खरीदकर कछुओं को खरीदकर लाया था। तस्करी कर कछुओं की सप्लाई जयपुर, अजमेर, सिरोही, दिल्ली और हरियाणा आदि स्थानों पर करनी थी। इनसे कमाए मोटे प्रॉफिट से वह नशे की लत व अय्याशी की पूर्ति करना है।

राज्य कर्मचारी महासंघ ने कलेक्ट्रट पर प्रदर्शन किया

जयपुर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के बैनर तले मंगलवार को जयपुर जिला कलेक्ट्रेट सर्किल परमहासंघ से संबद्ध विभिन्न घटक संगठनों के प्रदेश एवम जिला कार्यकर्तासैकड़ों की संख्या में पहुंचे। और नारेबाजी करते कलेक्ट्रेट सर्किल क्े चारो ओर विरोध जुलूस निकाला। इसके बाद महासंघ जिलाध्यक्ष के के यादव, मुख्य जिला मंत्री सज्जन सोनी, कैलाश दादरवाल एवम जयपुर संभाग अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व मे जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री और एवम मुख्य सचिव के नाम 17 सूत्रीय मांगपत्र ज्ञापन सोपा। इस अवसर पर प्रदर्शन में शामिल हुए संरक्षक सियाराम शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राना, मुख्य महामंत्री नवीन शर्मा, महामंत्री विपिन शर्मा एवं प्रमुख सलाहकार शशि भूषण शर्मा ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के समस्त विभागो में कार्यरत 6। लाख से अधिक नियमित एवम लगभग तीन लाख अनियमित कर्मचरियो की ज्वलंत समस्याओं का समय रहते समाधान के लिए राज्य सरकार को सजग होना होगा।

एस.ओ.जी. ने एक और उप निरीक्षक को गिरफ्तार किया

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एक और उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) को गिरफ्तार किया है। फिलहाल एसओजी की टीम पूछताछ करने में जुटी है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक एटीएस और एसओजी वीके सिंह ने बताया कि उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में चयनित उप निरीक्षक पुलिस (प्रोबेशनर) मोनिका (25) निवासी नवलगढ़ जिला झुंझुनू हाल उप निरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षु) पुलिस लाईन झुन्झुनू को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपित मोनिका ने ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर से 15 लाख रुपये में परीक्षा से पूर्व ब्लूटूथ के माध्यम से पेपर पढवाने के लिए सौदा किया। आरोपित मोनिका की उप निरीक्षक पुलिस की परीक्षा 15 सितम्बर 2021 को अजमेर में थी। पौरव कालेर ने ब्लूटूथ के माध्यम से मोनिका को उप निरीक्षक पुलिस की लिखित परीक्षा की दोनों पारियों का पेपर पढ़ाया। जिसके फलस्वरूप मोनिका ने उक्त परीक्षा के हिन्दी विषय में 200 में से 184 अंक तथा सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 161 अंक प्राप्त किए। आरोपित मोनिका को साक्षात्कार में मात्र 15 अंक प्राप्त हुए। मोनिका का उप निरीक्षक पुलिस के पद पर मेरिट क्रमांक 34 पर चयन हुआ। इस के लिए

आरोपी उप निरीक्षक मोनिका

मोनिका ने पौरव कालेर को 15 लाख रुपये दिए।

एसओजी ने पौरव कालेर को गिरफ्तार करने पर मोनिका राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर से फरार हो गई। जिसे आवंटित जिला झुंझुनू में ज्वाइन करने पर एसओजी कार्यालय में पूछताछ के गिरफ्तार किया गया।

41 लाख के चैक बाउंस के मामले में अभियुक्त को दोषीमुक्त करार दिया

जयपुर। जयपुर महानगर-प्रथम के वरिष्ठ न्याय मजिस्ट्रेट सीमा रानी ने 41 लाख के चैक बाउंस के मामले में आरोपी को पूरी तरह दोष मुक्त किया है। न्यायालय ने यह आदेश राजेश जैन बनाम राकेश महरचन्दानी के मामले पर सुनवाई करते हुए दी। इस मामले में आरोपी के तरफ से मुख्यतः पैरवी अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल की ओर से की गई।

इस मामले के तथ्य के अनुसार परिवादी राजेश जैन और अभियुक्त राकेश मेहरचन्दानी के मध्यम वर्ष 2015 में किया गया था। इस इकरारनामा के अचल सम्पत्ति, गैरेज में बनी दुकान के संदर्भ में निष्पादित किया गया। इस संदर्भ में परिवादी द्वारा 25 लाख का अग्रिम भुगतान किया गया था। लेकिन अभियुक्त द्वारा इकरारनामा की पालना नहीं की गई। जिसके चलते परिवादी द्वारा अभियुक्त से बेचान के लिये दी गई अग्रिम राशि कई बार वापस मांगी गई और अभियुक्त को तलब किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त ने 25 मई 2018 को परिवादी को अंतिम भुगतान के रूप में 41 लाख रुपये का चैक सौंपा। परंतु

अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल

यह चैक बाउंस हो गया।

जब यह मामला अदालत में पहुंचा, तो अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल द्वारा बताया गया कि परिवादी और अभियुक्त के बीच में इकरारनामे के अनुसार केवल 25 लाख रुपये की राशि अग्रिम भुगतान के रूप में दी गई थी। और परिवादी कहीं भी यह साबित नहीं कर पाया कि अभियुक्त को 41 लाख रुपये की राशि उसे लौटानी थी। इसके अलावा इकरारनामे में कहीं

- **इस मामले में अभियुक्त राकेश मेहरचन्दानी की ओर से श्वेताभ सिंघल ने पैरवी की**

भी यह लिखा नहीं गया है कि अभियुक्त के द्वारा किये गये अंतिम भुगतान में हर्जे-खर्चे की राशि भी जोड़ी जायेगी। इसके अलावा अधिवक्ता श्वेताभ सिंघल ने अदालत को बताया कि परिवादी द्वारा दिये साक्ष्य अभियुक्त को पूरी दोषी करार देने में असफल है।

परिणाम स्वरूप यह न्यायालय अभियुक्त राकेश मेहरचंदानी को धारा 138 एनआई एक्ट 1881 के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोष मुक्त किया जाना उचित समझता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के न्यायालय के समक्ष अपनी उपस्थिति बाबत पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके धारा 437ए दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आगामी 6 माह तक प्रभावी रहेंगे।

जयपुर में स्टंटबाजों पर कसा शिकंजा

पुलिस ने हुडदंग करने वाले 15 युवकों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया।

जयपुर। त्योहारी मौसम में सड़कों पर स्टंटबाजी और हुडदंग करने वाले युवकों के खिलाफ जयपुर उत्तर पुलिस ने तीसरे दिन भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। पुलिस आयुक्त बीजू जार्ज जोसफ के निर्देशानुसार, जयपुर उत्तर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक और कार से स्टंट करते हुए रैली निकालने और आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले युवकों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की।

पुलिस उपायुक्त जयपुर उत्तर राशि डोगरा डूडी आईपीएस ने बताया कि इन युवकों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई और कुल 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। साथ ही, 20 वाहनों को एमवी एक्ट के तहत जब्त किया गया और 5 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई जिला उत्तर के वृत आमेर, रामगंज और माणक चैक के थाना अधिकारियों की देखरेख में की गई। पुलिस ने बताया कि यह कार्यवाही त्योहारी सीजन में लोगों की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए की जा रही है। स्टंटबाजों के खिलाफ पुलिस का यह अभियान लगातार जारी रहेगा, ताकि सड़कों पर हो रही अनावश्यक परेशानी को रोका जा सके और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हथियार लेकर घूम रहे चार बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। करधनी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात की फिराक में घूम रहे चार बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों से 5 देशी पिस्टल, एक 12 बोर बंदूक और 373 गोलियां (7.65 एमएम) और 2 12 बोर जिंदा कारतूस बरामद की है। पुलिस ने अलग-अलग जगह कार्रवाई कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि डीएसटी और करधनी थाना पुलिस ने हथियार सप्लाई करने वाले संदिग्धों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इस दौरान तीन संदिग्धों को डिटेन कर पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने चार एफआईआर दर्ज चार बदमाशों को गिरफ्तार किया।

राजस्थान दिवस पर युवा और महिला वर्ग को राज्य सरकार देगी सौगातें : भजनलाल शर्मा

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस (30 मार्च) को लेकर राज्य सरकार बड़े स्तर पर प्रदेश के विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सुशासन के जरिए विकसित राजस्थान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवा, किसान, महिला और गरीब वर्ग को विभिन्न सौगातें देगी।

शर्मा ने कहा कि राजस्थान के युवाओं के सरकारी नौकरियों में रोजगार के सपने को साकार करते हुए रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला भी आयोजित किया जाएगा।उन्होंने कहा कि स्कील नीति व युवा नीति भी लायी जाएगी, जिससे युवाओं के सपने साकार हो सकेंगे। सभी जिला मुख्यालयों पर "रन फॉर फिट राजस्थान" का आयोजन होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता से अहम निर्णय ले रही है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की कड़ी में महिला वर्ग को भी विभिन्न योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी की जाएगी।

पुलिस ने अभियान चला कर 700 हार्डकोर-संदिग्ध बदमाशों को दबोचा

जयपुर। जयपुर पुलिस ने मंगलवार अल सुबह अभियान चलाकर पुलिस कमिश्नरेट के चारों जिलों के सभी थाना क्षेत्रों के लगभग 700 हार्डकोर एवं संदिग्ध बदमाशों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि जयपुर पुलिस की ओर से पुलिस कमिश्नरेट के सभी थाना क्षेत्रों में सक्रिय अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया गया है। इस अभियान तहत सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लियाएवं उनके खिलाफ विधि

- **अभियान में सक्रिय अपराधियों को पुलिस ने हिरासत में लिया एवं उनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी**

एवं न्याय अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिला पूर्व में 946 संदिग्ध अपराधी चिन्हित किए गए, एमवीएक्ट, एक्साइज एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, 129 व 170 बीएनएसएस, अन्य एक्ट में लगभग 250 अपराधियों को हिरासत में लिया गया। । पश्चिम जिले में 1048 संदिग्ध अपराधी चिन्हित लगभग 250 अपराधियों को हिरासत में लिया गया। उत्तर जिले में 212 संदिग्ध अपराधियों को चिन्हित कर लगभग 73 अपराधियों को हिरासत में लिया गया।दक्षिण जिले में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान में 739 संदिग्ध अपराधी चिन्हित 136 अपराधियों को हिरासत में लिया गया। अभियान तहत सक्रिय अपराधियों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

छह पुलिसकर्मी कांस्टेबल ऑफ दी मंथ के अवार्ड से सम्मानित

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने मंगलवार को पुलिस आयुक्तालय पर आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट, सराहनीय, मेहनत, लगन एवं समर्पण से कार्य करने वाले छह पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ दी मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया। फरवरी माह का कांस्टेबल ऑफ दी मंथ पुरस्कार के लिए पूर्व जिले के प्रतापनगर थाने के कांस्टेबल गणेश, बिन्दायका थाने के संदीप कुमार, जालूपुरा थाने के कांस्टेबल शिवराज चैयल, सांगानेर सदर थाने के कांस्टेबल प्रेम चैधरी, यातायात पुलिस के कांस्टेबल रणजीत व कांस्टेबल सीताराम को सम्मानित किया।

शांति धारीवाल व महेश जोशी सहित छह को वापस जारी किए नोटिस

जयपुर। हाईकोर्ट ने राजस्थान विधानसभा में तत्कालीन स्पीकर की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन 81 एमएलए की ओर से 25 सितंबर 2022 को दिये इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने और 113 दिन देरी से इन्हें अस्वीकार करने के मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल सहित छह को नोटिस की तामील नहीं होने पर उन्हें पुनः नोटिस जारी करने के लिए कहा है। अदालत ने जिन अन्य को नोटिस के लिए कहा है उनमें महेश जोशी, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी, रामलाल जाट व संयम लोढा शामिल हैं। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह व प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड की

- **तत्कालीन विधानसभाध्यक्ष की ओर से कांग्रेस के तत्कालीन 81 एमएलए की ओर से 25 सितंबर 2022 को दिये इस्तीफों पर निर्णय नहीं करने और 113 दिन देरी से इन्हें अस्वीकार करने के मामले में नोटिस की तामील नहीं हुई थी**

जनहित याचिका पर दिए।

सुनवाई के दौरान राठौड की ओर से अदालत को बताया कि मामले में शांति धारीवाल सहित जिन नेताओं को पक्षकार बनाया था, उन्हें नोटिस की तामील नहीं हो पाई है। इसलिए इन्हें नए सिरे से नोटिस जारी किए जाए। जिस पर खंडपीठ ने धारीवाल सहित 6 को नोटिस जारी किए। पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि तत्कालीन 75 एमएलए का कहना है कि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो स्पीकर को इस्तीफा सौंपने वाले छह एमएलए शांति धारीवाल, महेश जोशी, संयम लोढ़ा, रफीक खान, महेन्द्र चौधरी व रामलाल जाट से यह पूछना चाहिए कि उनके पास बाकी 75 एमएलए के इस्तीफे कहां से आए।

खाता किराए पर लेकर साइबर ठगी करने वाले तीन ठग गिरफ्तार

जयपुर। साइबर फ्रॉड करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से पुलिस टीम को 8 मोबाइल, 11 एटीएम कार्ड, 5 सिम कार्ड, 2 चैक, एक एयरटेल का डोंगल और एक पासबुक मिली है। जो लोगों से बैंक खाते किराए पर लेकर गलत काम कर रहे थे। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि 11 मार्च को पुलिस टीम को एक पीड़ित से सूचना मिली कि 4 महीने पहले उसका सुरेश नाम के व्यक्ति से फेसबुक पर संपर्क हुआ। सुरेश ने वॉट्सऐप नंबर पर कॉल कर बताया कि वह यूएसडीटी (क्रिप्टोकरेंसी) का काम करता है। मुझे अपना अकाउंट, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड दे दो। तुम्हारे अकाउंट में बिल्कुल सुरक्षित लेनदेन करूंगा।

रोड निर्माण को लेकर जेडीए और आवासन मंडल का अलग रुख

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट से हल्दी घाटी सर्किल तक सौ फीट चौडी रोड निर्माण के मामले में कडी टिप्पणी की है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख यूडीएच सचिव को 19 मार्च को तलब किया है। अदालत ने प्रमुख सचिव से बताने को कहा है कि सौ फीट चौडी रोड निर्माण को लेकर क्या योजना है। जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश अजय मार्ग निर्माण संघर्ष समिति की याचिका पर सुनवाई कर करते हुए दिए। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रभावित मकान मालिकों को पक्षकार बना लिया है। अदालत ने कहा कि यह बडे दुर्भाग्य की बात है कि आवासन मंडल और जेडीए, नगरीय विकास विभाग के अधीन आते हैं। इसके बावजूद संबंधित रोड निर्माण को लेकर दोनों का मत अलग-अलग है। मामले से जुडे अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने बताया कि वास्तविक रोड पर कॉलोनियां बस गई हैं। वहीं जेडीए के जोनल डवलपमेंट प्लान, 2018 में आवासन के कई मकानों से यह सौ फीट रोड निकाल दी।

गद्दे की फैक्ट्री में लगी आग

आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई

जयपुर। हसनपुरा में मंगलवार शाम में एक गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार फैल गया। आग की सूचना पर मौके पर करीब 13 दमकल पहुंची और करीब दो घंटे से अधिक समय में आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों रुपए का तैयार व कच्चा माल स्वाहा हो गया।

पुलिस के अनुसार आग मंगलवार शाम करीब 3.45 बजे लगी। सूचना पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। आग ने कुछ ही समय में विकराल रुप धारण कर लिया था। आग की लपटें और धुआं करीब दो किमी की दूरी से नजर आ रहा है।

करीब तीन घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है, लेकिन फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर 22 गोदाम से 2, बनीपार्क से 3, वीकेआई से 2, मानसरोवर और झोटवाड़ा से 2-2 सहित कुछ अन्य स्थानों से दमकल मोके पर पहुंची और आग बुझाने के लिए

- **मौके पर करीब 13 दमकल पहुंची और करीब दो घंटे से अधिक समय में आग पर काबू पाया**
- **आग से लाखों रुपए का तैयार व कच्चा माल स्वाहा हो गया**

दमकलों को कई चक्कर लगाने पड़े। यह फैक्ट्री हसनपुरा निवासी इरफान की है। आग से करीब 15 लाख रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री में गद्दों के लिए इस्तेमाल होने वाले फोम और कपड़े मौजूद थे, जो आग पकड़ने में बेहद संवेदनशील होते हैं। इसी कारण आग तेजी से फैली। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, हालांकि जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।

प्रशासन की मुस्तैदी और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। आसपास की इमारतों को सुरक्षित खाली कराया गया और दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री की सीमा में ही आग को सीमित रखा, जिससे अन्य भवनों को नुकसान नहीं पहुंचा।

इस घटना ने औद्योगिक इलाकों में सुरक्षा उपायों और अग्नि सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा की आवश्यकता को उजागर कर दिया है। जिला प्रशासन ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। फैक्ट्री मालिक से भी जवाब-तलब किया गया है।

फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग

जयपुर। आदर्श नगर थाना इलाके में मंगलवार सुबह फर्नीचर के एक गोदाम में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। आग से गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान होना सामने आया है। पुलिस प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट सर्किट से लगना सामने आया है।

थानाधिकारी धर्म सिंह चौधरी ने बताया कि आदर्श नगर श्मशान के पास मोहम्मद इलियास का फर्नीचर का गोदाम है। शनिवार सुबह करीब 7.15 बजे बंद फर्नीचर गोदाम से अचानक धुआं उठने लगा।

देखते ही देखते धुंए के साथ ही आग की लपटे उठने लगी। गोदाम में आग लगने का पता चलने पर स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। गोदाम में रखे फर्नीचर के चपेट में आने पर आग की भीषण लपटे उठने लगी। स्थानीय लोगों की सूचना पर आदर्श नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने फायर बिग्रेड को तुरंत आग लगने की सूचना दी। फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर करीब ढाई घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया।

करीब 4-5 दिन पहले ही ऑनर मोहम्मद इलियास ने इस बिल्डिंग में गोदाम को शिफ्ट किया था। आग से गोदाम में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस प्रथम दृष्टया जांच में आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है।

आध्यात्मिकता, विज्ञान और संस्कृति का संगम है संस्कृत : आचार्य बालकृष्ण

हरिद्वार। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली एवं पतंजलि विश्वविद्यालय,हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धा का आयोजन 18 से 21 मार्च तक किया जा रहा है।

उद्घाटन सत्र में पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने बतौर मुख्य अतिथि सभागार को संबोधित करते हुए कहा कि संस्कृत केवल एक प्राचीन भाषा नहीं, बल्कि आध्यत्मिकता, विज्ञान और संस्कृति का अद्भुत संगम है। संस्कृत हमारी मूल भाषा है, जो सत्य और प्रामाणिकता पर आधारित है। ऐसे आयोजनों के माध्यम से हम इस अमूल्य धरोहर को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में सफल होंगे।

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ज्ञान और कलाओं की आधारशिला संस्कृत ही है। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा बाहरी आक्रमणों के कारण अनेक चुनौतियों और षड्यंत्रों से गुजरी है,लेकिन इसके बावजूद हमारी संस्कृति,संस्कृत भाषा और शास्त्र आज भी प्रासंगिक और सशक्त हैं।

इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली के कुलपति प्रो. श्रीनिवास वरखेड़ी ने अपने

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली एवं पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 62वीं अखिल भारतीय शास्त्र स्पर्धा का उद्घाटन किया गया।

अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि संस्कृत भाषा केवल एक सम्प्रेषण का माध्यम नहीं,बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। उन्होंने कहा कि यह अखिल भारतीय शस्त्रीय स्पर्धा संस्कृत भाषा के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों को वैदिक साहित्य, दर्शन, व्याकरण, न्याय, ज्योतिष, साहित्य और संगीत जैसी विविध विधाओं में न केवल अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है,बल्कि वे एक दूसरे से सीखकर संस्कृत के गूढ़ रहस्यों में भी निपुण बनते हैं।

इस अवसर पर पतंजलि विश्वविद्यालय के मानविकी एवं प्राच्य विद्या संकायाध्यक्ष एवं कुलानुशासिका प्रो. साध्वी देवप्रिया,पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रो. मयंक कुमार अग्रवाल,दूरशिक्षा निदेशक प्रो. सत्येंद्र मित्तल,कुलसचिव आलोक कुमार सिंह,कुलानुशासक स्वामी आर्षदेव सहित पतंजलि विश्वविद्यालय,हरिद्वार तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय,नई दिल्ली के संकाय सदस्य,विद्यार्थी,शोधार्थी और देश के कोने-कोने से पधारे विद्वतजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का मंच संचालन प्रो. पवन व्यास ने किया।